

अखंडता संधि

के बीच

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : बी -9, गुटब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सफ़राई,
नई दिल्ली - 110 016

एतदपश्चात "पावरग्रिड" के रूप में संदर्भित
और

(संयुक्त उद्यम के साझेदार का नाम डालें, जैसा कि लागू हो)

पंजीकृत कार्यालय : _____
(पूरा पता डालें)

और

(संयुक्त उद्यम के साझेदार का नाम डालें, जैसा कि लागू हो)

पंजीकृत कार्यालय : _____
(पूरा पता डालें)

एतदपश्चात "बोलीदाता / ठेकेदार" के रूप में संदर्भित

के बीच

अखंडता संधि/ समझौता

प्रस्तावना

"पावरग्रिड _____ के लिए निर्धारित
संगठनात्मक प्रक्रियाओं, अनुबंध (ओं) के तहत, पुरस्कार देने का इरादा रखता है
(पैकेज का नाम डालें)

_____ पैकेज और विशिष्टता संख्या
_____ पावरग्रिड पूर्ण अनुपालन का महत्व देता है
(पैकेज की विशिष्ट संख्या डालें)

भूमि संगत कानूनी नियम , नियम, विनियम, संसाधनों का आर्थिक उपयोग, और इसके बोलीदाताओं / ठेकेदारों के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता / पारदर्शिता।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पावरग्रिड और उपरोक्त नामित बोलीदाता / ठेकेदार इस समझौते में प्रवेश करते हैं जिसे "वफ़ादारी संधि" कहा जाता है जो बोली का हिस्सा बनेगा।

यह एतद्वारा पार्टियों के बीच निम्न प्रकार से सहमत है:

खंड I - पावरग्रिड की प्रतिबद्धताएं

- (1) POWERGRID खुद को भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध करती है:

क) पावरग्रिड का कोई कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से निविदा या अनुबंध के निष्पादन से संबंध नहीं रखेगा या किसी भी सामग्री या अन्य लाभ, जिस के लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, के लिए स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए मांग, वादा या स्वीकृति नहीं लेगा

बी) पावरग्रिड, निविदा प्रक्रिया के दौरान न्यायनीति, निष्पक्षता और विवेक सहित सभी बिडर (ओं) का व्यवहार करेगी। निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान POWERGRID विशेष रूप से, सभी बिडर (ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा, जिसके माध्यम से निविदा प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के संबंध में बिडर (ओं) को लाभ मिल सकता है।

सी) पावरग्रिड अपने ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) को बोलियों के मूल्यांकन से बाहर रखेगा, जिनकी बिडिंग / टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों/एजेंसियों में कोई व्यक्तिगत रुचि है और सभी ज्ञात पूर्वाग्रह से ग्रसित / पूर्व-परिचित व्यक्ति हैं।

- (2) यदि पावरग्रिड अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो IPC / PC अधिनियम के तहत एक आपराधिक दोष है, या यदि इस संबंध में कोई संदेह है, तो पावरग्रिड अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है पावरग्रिड के नियमों के तहत।

धारा II - बोलीदाता/ठेकेदार की प्रतिबद्धताएं:

- (1) बोलीदाता / ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करता है। निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध निष्पादन के दौरान, निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बिडर / ठेकेदार खुद प्रतिबद्ध करता है।

क) बोलीदाता / ठेकेदार निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान सीधा, किसी भी अन्य व्यक्ति या फर्म द्वारा निविदा प्रक्रिया में शामिल पावरग्रिड के किसी भी कर्मचारी को या किसी भी तरह के लाभ का आदान-प्रदान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी सामग्री या अन्य लाभ, जिस के लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, प्रस्ताव, वादा देना या लेना नहीं करेगा।

ख) बोलीदाता / ठेकेदार किसी भी अवैध या अज्ञात अनुबंध या समझौता नहीं करेगा, चाहे वह अन्य बोलीदाताओं / ठेकेदारों के साथ औपचारिक या अनौपचारिक हो। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों का प्रस्तुतीकरण या गैर- प्रस्तुतीकरण या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित किए जाने वाली क्रियाओं या बोली प्रक्रिया में कार्टेलिज़ेशन प्रवेश करने के लिए लागू होता है।

ग) बिडर / ठेकेदार पावरग्रिड द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी दूसरों को व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में पारित नहीं करेगा और पीसी / आईपीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा।

घ) विदेशी मूल के बोलीदाता / ठेकेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिडिंग में शामिल भारत के अभिकर्ता / प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, तो के नाम और पते को प्रस्तुत करेंगे

है। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता / ठेकेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली में शामिल विदेशी रियासत, यदि कोई हो तो, के नाम और पते को प्रस्तुत करेंगे।

- ड) बोलीदाता / ठेकेदार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अनुबंध प्रदान के और / या संविदा के निष्पादन के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी भी अन्य मध्यस्थों को किए गए या प्रतिबद्ध किए गए किसी भी और सभी भुगतानों को प्रकट करेगा।
- च) बोलीदाता / ठेकेदार बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने या अनुबंध के निष्पादन से पावरग्रिड को अपकार करने वाले तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या गलत / जाली दस्तावेजों / सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं करेगा।
- छ) बोलीदाता / ठेकेदार अपने उप-ठेकेदारों द्वारा अखंडता संधि को अपनाना सुनिश्चित करेगा और उसी के लिए जिम्मेदार होगा।

- (2) बोलीदाता/ठेकेदार ऊपर उल्लिखित अपराधों को करने के लिए तीसरे व्यक्ति को उकसाएगा नहीं या ऐसे अपराधों के लिए सहायक नहीं बनेगा
- धारा III-निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भावी संविदा से बहिष्करण
- (1) यदि बोलीदाता ने, अनुबंध पुरस्कार से पहले धारा II के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में जैसे बिडर के रूप में उसकी स्थिरता या विश्वसनीयता का सवाल है, किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है तो POWERGRID, इस तरह के कारण पर यदि अनुबंध पहले से ही हस्ताक्षरित हुआ हो, तो भी निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता को, अयोग्य घोषित कर सकता है या संविदा पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- (2) यदि बिडर / ठेकेदार ने धारा II के उल्लंघन के माध्यम से एक अपराध किया है, जिससे उसकी स्थिरता या विश्वसनीयता का सवाल उठेगा, पावरग्रिड नियत प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, "फर्मों की ब्लैक-लिस्टिंग / व्यापार पर प्रतिबंध के लिए पावरग्रिड की नीति के अनुसार बिडर / ठेकेदार को प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्ट कर सकता है। प्रतिबंध के अधिरोपण व अवधि, मामले की परिस्थितियों, विशेष रूप से अपराधों की संख्या, बोलीदाता / ठेकेदार की कंपनी पदानुक्रम के भीतर अपराधियों की स्थिति और क्षति की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह प्रतिबंध अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जाएगा।
- (3) यदि बोलीदाता / ठेकेदार यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान को बहाल / पुनः स्थापित किया है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है, तो पावरग्रिड समय से पहले प्रतिबंध को रद्द कर सकता है।

खंड IV - अखंडता पैक के उल्लंघन के लिए देयता

- (1) यदि पावरग्रिड ने धारा III के अंतर्गत पुरस्कार से पहले निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो POWERGRID बोली के तहत बोली की गारंटी की जब्ती के लिए हकदार है।
- (2) यदि पावरग्रिड ने धारा III के तहत अनुबंध को समाप्त कर दिया है या यदि पावरग्रिड धारा III के तहत अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो अनुबंध के तहत अन्य उपायों के प्रयोग के साथ साथ यथा निर्धारित पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध की अनुबंध निष्पादन गारंटी की जब्ती के लिए हकदार है।

खंड V – पूर्वातिक्रमण

- 1) बोलीदाता अपनी बोली में पिछले 10 वर्षों में किसी भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी विभाग या किसी अन्य कंपनी के साथ, किसी भी देश में भ्रष्टाचार-विरोधी सिद्धांत को टकराए गए अपराधों का उल्लेख करेगा।

- 2) यदि बिडर इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया या संविदा से अयोग्य ठहराया जा सकता है या अनुबंध, यदि पहले से ही सम्मानित किया गया है, तो ऐसे कारण के लिए समाप्त किया जा सकता है और आगे की कार्रवाई POWERGRID की नीतियों के अनुसार की जा सकती है।

खंड VI - सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों को समान उपचार

Section VI – Equal treatment to all Bidders / Contractors

- (1) पावरग्रिड समान शर्तों के साथ करारों में प्रवेश करेगा क्योंकि ये सभी बोलीदाताओं के साथ समान है।
- (2) POWERGRID निविदा प्रक्रिया से किसी भी बोलीदाता को अयोग्य घोषित करेगा जो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

धारा VII - बोली लगाने वाले / ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई

Section VII – Punitive Action against violating Bidders / Contractors

यदि पावरग्रिड को किसी बिडर या कॉन्ट्रैक्टर या उसके सब-कॉन्ट्रैक्टर या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बिडर या कॉन्ट्रैक्टर के सहयोगी या उसके सब-कॉन्ट्रैक्टर जो भ्रष्टाचार करता है, की जानकारी मिलता है या यदि पावरग्रिड को इस संबंध में संदेह है, तो पावरग्रिड मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को सूचित करेगा।

(* खंड आठवीं - स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर / मॉनिटर्स (*) Section VIII – Independent External Monitor/Monitors

- (1) पावरग्रिड ने भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मंजूरी के साथ इस समझौते के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (IEM) का एक पैनल नियुक्त किया है। IEM के नामों को बिडिंग दस्तावेजों में इंगित किया गया है।
- (2) आईईएम का पैनल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेगा, कि क्या और किन पक्षों ने इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन किया है। IEM के पैनल को सभी परियोजना प्रलेखन तक पहुंच का अधिकार है। आईईएम का पैनल उनके द्वारा प्राप्त किसी भी शिकायत की जांच कर सकता है और जल्द से जल्द संयुक्त निष्कर्ष देते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। पीसी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने वाली गंभीर अनियमितताओं के संदेह के कारण, आईईएम का पैनल सीवीओ और सीवीसी को सीधे एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
- 3) आईएम पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को न्यूट्रल और स्वतंत्र रूप से करता है। वह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को रिपोर्ट करता है।

- 4) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को स्वीकार है कि आईईएम के पास इस अनुबंध से संबंधित पावरग्रिड से सभी दस्तावेज तक प्रतिबंध के बिना उपयो करने का अधिकार है, जिसमें ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया है। बिडर/कॉन्ट्रैक्टर अपने दस्तावेज के लिए एक वैध हित, अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच के अनुरोध पर आईईएम को भी अनुदान देगा। यही बात उपमहाद्वीपों पर भी लागू होती है। आईएम गोपनीयता के साथ बिडर (एस) / ठेकेदार (एस) / सब-कॉन्ट्रैक्टर (एस) की जानकारी और दस्तावेजों के इलाज के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत है।
- 5) पावरग्रिड आईईएम को उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदन करेगा, जो पावरग्रिड और इस अनुबंध से संबंधित बोलीदाता/ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। आईईएम गोपनीय सूचना के गैर-प्रकटीकरण और 'ब्याज की अनुपस्थिति' की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेगा। बाद की तारीख में उत्पन्न होने वाले किसी भी हितों के टकनाव के मामले में, आईईएम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को सूचित करेगा और उस मामले से खुद को दूर करेगा।
- 6) जैसे ही आईईएम नोटिस, या नोटिस पर विश्वास करता है, इस समझौते का उल्लंघन, वह / तो वह अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को सूचित करेगा कि वह सुधारात्मक कार्रवाई करे, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करे। आईईएम इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, आईईएम को पार्टियों से मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करते हैं, कार्रवाई से बचते हैं या कार्रवाई को बर्दाश्त करते हैं। हालाँकि, आईईएम पावरग्रिड और बोलीदाता / ठेकेदार को, जैसा कि समझा जाता है, पावरग्रिड को अपनी सिफारिशें करने से पहले अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देगा।
- 7) आईईएम अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को सवंदर्भ की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या पावरग्रिड द्वारा उसे सूचित किया गया जाएगा और, इस अवसर पर, सुधारवादी परिस्थितियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।
- 8) अगर आईईएम ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड को सूचित किया है, तो पीसी/आईपीसी अधिनियम के तहत अपराध की पुष्टि की गई है, और अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, पावरग्रिड ने उचित टाई के भीतर नहीं देखा है ताकि आगे बढ़ सकें। इस तरह के आराध के खिलाफ या सीवीओ को इसकी सूचना दी, मॉनिटर इस जानकारी को सीधे सीवीसी, भारत सरकार को भी प्रेषित कर सकता है।
- 9) आईईएम, पीएमजीआरआईडी और बिडर/कॉन्ट्रैक्टर के पीएएल को इसके हस्तांतरण सहित इंटीग्रिटी पैक्ट इंटर-आलिया के संबंध में किसी भी मामले

का प्रतिनिधित्व करते समय, कानून की अदालत से संपर्क नहीं करेगा और मामले में आईईएम के निर्णय का इतजार करेगा।

10) 'आईईएम' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

(*) यह धारा केवल उन पैकेजों के लिए लागू होगी, जिसमें आईईएम की पहचान अनुभाग में की गई है - I : बोलियों के लिए आमंत्रण और/या खंड आई टी बी 9.3 में खंड - III : अनुबंध की शर्तों के बोली डेटा पत्रक, खंड 5। बोली दस्तावेज।

खंड नौवी - संधी अवधि

यह संधी तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कनूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध के समापन के बाद और अनुबंध से सम्मानित होने के बाद अन्य सभी बोलीदाता के छह महीने के लिए ठेकेदार के लिए समाप्त हो जाता है।

खंड दसवीं - अन्य प्रावधान

1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन और अधिकार क्षेत्र का स्थान POWERGRID की स्थापना है। मुख्य निविदा दस्तावेज / अनुबंध में प्रदान की गई मध्यस्थता खंड अखंडता संधि के तहत आने वाले किसी भी मुद्दे / विवाद के लिए लागू नहीं होगा।

2) परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। साइड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं।

3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी फर्म या कंसेर्टियम या संयुक्त उद्यम है, तो इस साझेदारी पर सभी भागीदारों, संघ सदस्यों और संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4. इस समझौते में कुछ भी अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) और अनुबंध की विशेष शर्तों (एससीसी) के तहत उपलब्ध दलों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।

5) वारंटी / गारंटी आदि जैसे मुद्दे IEM के दायरे से बाहर होंगे।

6) इस समझौते के उल्लंघन के संबंध में पार्टियों द्वारा किए गए विचार या सुझाव / प्रस्तुतियाँ और सीवीओ / आईईएम की सिफारिशें, मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पर भरोसा नहीं किया जाएगा या पेश नहीं किया जाएगा। विषय अनुबंध से उत्पन्न विवादों / मतभेदों के संबंध में पक्षों द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही।

“सीवीओ उन पैकेजों के लिए लागू होगा, जिनमें आईईएम की पहचान आईएफबी/बीडीएस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडिशन, वॉल्यूम-1 में नहीं की गई है। आईईएम उन पैकेजों के लिए लागू होगा जिनमें आईईएम की पहचान आईएफबी / बीडीएस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडिशन, वॉल्यूम-1 से की जाती है।

7) क्या इस समझौते के एक या कई प्रावधान अवैध हो जाने चाहिए, इस समझौते के शेष वैध हैं। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते को सहने का प्रयास करेंगी।

(हस्ताक्षर) _____
(For & On behalf of POWERGRID)

(हस्ताक्षर) _____
(For & On behalf of Bidder/Partner(s) of Joint
Venture/Contractor)

(Office Seal)

(Office Seal)

नाम Name : _____

नाम Name: _____

पदनाम Designation _____

पदनाम Designation : _____

साक्ष्य Witness 1 : _____
नाम व पता
(Name & Address) _____

साक्ष्य Witness1 : _____
नाम व पता
(Name & Address) _____

साक्ष्य Witness 1 : _____
नाम व पता
(Name & Address) _____

साक्ष्य Witness1 : _____
नाम व पता
(Name & Address) _____
